(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं० 57/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः– 28 मार्च, 2018

विषयः शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) स्कीम के तहत खांड के आयात के संबंध में विदेश व्यापार नीति 2015–2020 में संशोधन।

सा.आ.(अ.): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–20 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

1. पैरा 4.25 (ग) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

(ग) डीएफआईए के तहत सफेद चीनी का निर्यात सिओन क्रम संख्या ड. 52 के अंतर्गत 30.9.2018 तक अनुमत है और ऐसे मामलों में डीएफआईए केवल 1.10.2019 को अथवा इसके पश्चात जारी किया जाएगा। ऐसे डीएफआईए 30.09.2021 तक किए जाने वाले आयात हेतु वैध होंगे।

2. पैरा 4.27 (iv) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

(iv) ऐसी किसी निविष्टि के लिए कोई शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा जो आयात–पूर्व शर्त के अधीन हो अथवा जहां सियोन के तहत 'वास्तविक प्रयोक्ता' शर्त निर्धारित की गई हो अथवा ऐसी निविष्टि के लिए परिशिष्ट 4ञ आयात–पूर्व शर्त निर्धारित की गई हो। तथापि यह प्रतिबंध 30.9.2018 तक किए गए 'खांड' के लिए लागू नहीं है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार

[फा० सं० 01/94/180/एए–चीनी/एएम–09/पीसी–4 से जारी]